UTTAR PRADESH SHASAN
URJA ANUBHAG-3

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. **1/2026/**365/24-P-3-2026 'dated 14August, 2026

NOTIFICATION

No. - **1/2026/**365/24-P-3-2026

Lucknow; Dated: 14August, 2026

In exercise of the powers under sub-regulation (1) of regulation 31 and sub-regulation (1) of regulation 45 of the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2023 and in supersession of Notification no. 229-24-P-3-2015 dated 04.03.2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Governor is pleased to direct in public interest that, for the following electricity connections, as mentioned in Table-1, instead of (a) undergoing an inspection and obtaining a subsequent No Objection Certificate from the Directorate of Electrical Safety, and/or (b) obtaining a Work Completion Certificate issued by a State Government-licensed electrical contractor, prior to energisation, it shall be sufficient for the consumer to submit a self-declaration to the supplier:

Table-1

Sl. No.	Consumer Category	Connected Load less than or equal to
1	LMV-1 (Domestic Light & fan)	50 kW
2	LMV-2 (Commercial Light & Fan)	50 kW (subject to Note A below)
3	LMV-4 (Public/Private Institutions)	50 kW (subject to Note A below)
4	LMV-5 (Private Tubewells)	50 kW
5	LMV-9 Temporary Supply (temporary connection only for the purpose of construction of private residence)	50 kW (subject to Note B below)
6	LMV-11 (Electric Vehicle Charging) (cases other than installations in basements)	50 kW (subject to Note C below)
7	HV-4 (Lift Irrigation)	50 kW

Note-(A) For establishments under the categories LMV-2 and LMV-4 with a connected load less than or equal to 50 kW:-

(i) Where there is a likelihood of 100 or more persons gathering, it shall be mandatory to obtain a No Objection Certificate (NOC), issued by the Directorate of Electrical Safety following an electrical safety inspection, and a Work Completion Certificate issued by a licensed electrical contractor, prior to the release of the electricity connection.

(ii) For establishments such as hospitals or nursing homes with 10 or more beds, educational institutions (including play schools), libraries, banquet halls (permanent or temporary), hostels, video game parlours, fairs, exhibition venues, art galleries, crèches, play zones, theatres, museum and restaurants with an area exceeding 150 square metres (inclusive of all floors) — even if the number of persons likely to gather therein is fewer than 100 — in the interest of public safety, it shall be mandatory to obtain a No Objection Certificate (NOC), issued by the Directorate of Electrical Safety following an electrical safety inspection, and a Work Completion Certificate issued by a licensed electrical contractor, prior to the release of the electricity connection.

(iii) Additionally, for other such installations or premises that may be considered sensitive from the perspective of public safety for any reason, the Electrical Inspector may direct the supplier to require a No Objection Certificate (NOC) issued from the Directorate of Electrical Safety, either before or after the release of the electricity connection, and a Work Completion Certificate issued by a licensed electrical contractor, before the release of the electricity connection, from the owner of the premises.

Note : (B) Under the LMV-9 category, barring temporary connections with load less than or equal to 50 kW required for construction of private residences, it shall be mandatory to obtain a No Objection Certificate

(NOC), issued from the Directorate of Electrical Safety following an electric safety inspection, and a Work Completion Certificate issued by a licensed electrical contractor in all other cases.

Note : (C) Under the LMV-11 category, it shall be mandatory to obtain a No Objection Certificate (NOC), issued from the Directorate of Electrical Safety following an electric safety inspection, and a Work Completion Certificate issued by a licensed electrical contractor, for electrical installations of any capacity located in the basement of a building.

2. It shall be mandatory to obtain an Electrical Safety No Objection Certificate (NOC) & Work Completion Certificate for those categories of electricity consumers that are not exempted from such requirement under this notification.

3.In the cases exempted above, the consumer shall submit a declaration in the following format to the Supplier/Licensee:-

Self-Declaration

1. "I,....., son/daughter/wife of Shri ....., resident of ....., hereby declare that I have applied to the Supplier/Licensee (Purvanchal/ Paschimanchal/ Madhyanchal/Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd./KESCO /NPCL/Other) for an electrical connection at ..... (place of connection) in the ..... category

OR

"I.....son/daughter/wife of Shri……on behalf of……. (Name of Firm/Company and Address of firm and Company) hereby declare that I/we have applied to the Supplier/Licensee (Purvanchal/ Paschimanchal/Madhyanchal/Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd./KESCO/NPCL/Other) for an electrical connection at ..... (place of connection) in the ..... category.

2. The work regarding my electrical installation has been carried out by a licensed electrical contractor recognized by the State Government.

3. The said electrical installation complies with the provisions of the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2023, and meets the standards of electrical safety.

4. I shall be solely responsible for any accident arising from the said electrical installation.

5. Every fact mentioned in this declaration is true to the best of my knowledge and belief. I shall bear full responsibility if any fact mentioned in this declaration is found to be incorrect or false.

6. The details of the electricity connection are as follows:"

	Single Phase Supply (230/220 Volts)		**Three Phase Supply (440/400 Volts)**								
	Number	**Total Load connected or anticipated (W)**	**Phase1**		**Phase2**		**Phase3**		**Equipments running on 3-phase supply**		**Total Load connected or anticipated (W)**
			Number	**Total Load connected or anticipated (W)**	**Number**	**Total Load connected or anticipated (W)**	**Number**	**Total Load connected or anticipated (W)**	**Number**	**Total Load connected or anticipated (W)**	
1 - Light Points											
2 - Fan Points											
3 - 5 Ampere Plug Points											
4- TV											
5- Heater											

6- Water Heater/ Geyser											
7- Washing Machine/Dryer											
8.Refrigerator/ Deep Freezer/ Drinking Water Cooler											
9- Kitchen equipments											
10- Desert Cooler/ Water cooler											
11 – AC single phase											
12- AC three phase	×	×	×	×	×	×	×	×			
13- 15Ampere Plug Point											
14- Motor single phase											
15- Motor three phase	×	×	×	×	×	×	×	×			
16- Other devices single phase											
17- Other devices three phase	×	×	×	×	×	×	×	×			
Total											

7. I/We certify that the installation detailed above has been installed by me/us and tested, and that, to the best of my/our knowledge and belief, it complies with the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2023, as amended up-to-date, and also the relevant provisions of the Bureau of Indian Standards and the National Electrical Code of India.

8. I/We certify that we have abided by the following Terms & Conditions for the Applicant/Consumer's installation beyond the point of supply of the Supplier:

(i) The Applicant/Consumer shall install an appropriately rated MCB with enclosure near the start of the electricity supply and shall not install a DP switch.

(ii) The Applicant/Consumer, if having voltage exceeding 250 volts, shall provide his/her own earthing system for the installation.

(iii) The Applicant/Consumer, if having a sanctioned load above 2 kW, shall install an earth leakage protection device.

Signature of Consumer: _____
Name: _____
Date: _____
Place: _____

By order,

Dr. Ashish Kumar Goel
Additional Chief Secretary.

उत्तर प्रदेश शासन

ऊर्जा अनुभाग-3

संख्या : 1/2026/365/24-पी-3-2026

लखनऊ : दिनांक : 14 अगस्त , 2026

अधिसूचना

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2023 के विनियम 31 के उप-विनियम (1) तथा विनियम 45 के उप-विनियम (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा अधिसूचना संख्या 229-24-पी-3-2015, दिनांक 04.03.2015 का उन बातों के सिवाय अधिक्रमण करके जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गयी हों या किये जाने हेतु लोपित हों, राज्यपाल लोकहित में निदेश देते है कि **सारणी-1** में यथा उल्लिखित निम्नलिखित विद्युत कनेक्शनों के लिए ऊर्जीकृत करने से पूर्व **(क)** विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा निरीक्षण कराये जाने और तत्पश्चात् अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने और/या **(ख)** राज्य सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त विद्युत ठेकेदार द्वारा जारी कार्यपूरक प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बजाय, उपभोक्ता द्वारा आपूर्तिकर्ता को **स्व-घोषणा** प्रस्तुत करना पर्याप्त होगा:-

सारणी-1

क्र. सं.	उपभोक्ता की श्रेणी	कनेक्टेड लोड कम या बराबर
1	एल.एम.वी.-1 (घरेलू बत्ती और पंखा)	50 किलोवाट
2	एल.एम.वी.-2 (कामर्शियल बत्ती और पंखा)	50 किलोवाट (नीचे नोट-'क' के अध्यधीन)
3	एल.एम.वी.-4 (सार्वजनिक/निजी संस्थान)	50 किलोवाट (नीचे नोट-'क' के अध्यधीन)
4	एल.एम.वी.-5 (निजी नलकूप)	50 किलोवाट
5	एल.एम.वी.-9 अस्थायी सप्लाई (निजी घर के निर्माण हेतु अस्थायी कनेक्शन)	50 किलोवाट (नीचे नोट-'ख' के अध्यधीन)
6	एल.एम.वी.-11 (इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग) (बेसमेंट में प्रतिष्ठापन से भिन्न मामले)	50 किलोवाट (नीचे नोट-'ग' के अध्यधीन)
7	एच.वी.-4 (लिफ्ट, सिंचाई)	50 किलोवाट

नोट-(क) एल.एम.वी.-2 और एल.एम.वी.-4 श्रेणियों के अधीन ऐसे प्रतिष्ठानों के लिए जिनका कनेक्टेड लोड 50 कि0वा0 से कम या उसके बराबर है-

(एक) जहाँ 100 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने की संभावना हो, वहाँ विद्युत कनेक्शन जारी करने से पूर्व विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा विद्युत सुरक्षा निरीक्षण के उपरांत जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा लाइसेंस प्राप्त विद्युत ठेकेदार द्वारा जारी कार्यपूरक प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(दो) 10 या उससे अधिक बिस्तरों वाले अस्पताल या नर्सिंग होम, शैक्षणिक संस्थान (प्ले स्कूल सहित), पुस्तकालय, बैंक्वेट हॉल (स्थायी या अस्थायी), छात्रावास, वीडियो गेम पार्लर, मेले, प्रदर्शनी स्थल, कला दीर्घाएँ, शिशुकक्ष, प्ले जोन, थिएटर, संग्रहालय और 150 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले रेस्टोरेन्ट (सभी मंजिलों समेत) जैसे प्रतिष्ठानों के लिए, भले ही वहाँ एकत्र होने वाले व्यक्तियों की संभावित संख्या 100 से कम हो, सार्वजनिक सुरक्षा के हित में, विद्युत कनेक्शन जारी करने से पूर्व विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा विद्युत सुरक्षा निरीक्षण के उपरान्त जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा लाइसेंस प्राप्त विद्युत ठेकेदार द्वारा जारी कार्य पूरक प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(तीन) इसके अतिरिक्त, ऐसे अन्य प्रतिष्ठापनों या परिसरों के लिए, जो किसी भी कारण से सार्वजनिक सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में संवेदनशील हों, विद्युत निरीक्षक आपूर्तिकर्ता को विद्युत कनेक्शन जारी करने से पहले या उसके पश्चात् विद्युत सुरक्षा निदेशालय से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने तथा परिसर के स्वामी से विद्युत

कनेक्शन जारी करने से पूर्व लाइसेंस प्राप्त विद्युत ठेकेदार द्वारा जारी कार्यपूरक प्रमाण पत्र प्राप्त करने का निदेश दे सकता है।

नोट-(ख) एल0एम0वी0-9 श्रेणी के अधीन निजी आवासों के निर्माण के लिए आवश्यक 50 कि0वा0 से कम या उसके बराबर लोड वाले अस्थायी कनेक्शनों को छोड़कर, अन्य सभी मामलों में विद्युत सुरक्षा निरीक्षण के उपरांत विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा लाइसेंस प्राप्त विद्युत ठेकेदार द्वारा जारी कार्यपूरक प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

नोट-(ग) एल0एम0वी0-11 श्रेणी के अधीन भवन के बेसमेंट में स्थित किसी भी क्षमता के विद्युत प्रतिष्ठापनों के लिए विद्युत सुरक्षा से निरीक्षण के उपरान्त विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र तथा लाइसेन्स प्राप्त विद्युत ठेकेदार द्वारा जारी कार्यपूरक प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

2. उन विद्युत उपभोक्ताओं की श्रेणियों के लिए विद्युत सुरक्षा से सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं कार्यपूरक प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा, जिन्हें इस अधिसूचना के अधीन ऐसी आवश्यकता से छूट प्राप्त नहीं है।

3. उपर्युक्त छूट प्राप्त मामलों में उपभोक्ता आपूर्तिकर्ता/लाइसेंसधारी को निम्नलिखित प्रारूप में घोषणा प्रस्तुत करेगा:-

<u>स्व-घोषणा</u>

1. "मैं, ...पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... निवासी ....., एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने.....(कनेक्शन का स्थान) पर ..... श्रेणी में विद्युत कनेक्शन हेतु आपूर्तिकर्ता/लाइसेंसधारी (पूर्वांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड/केस्को/एनपीसीएल/अन्य) के समक्ष आवेदन किया है।

या

"मैं, ...पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... (फर्म/कंपनी का नाम और फर्म एवं कंपनी का पता) .....की ओर से एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने/हमने .....(कनेकशन का स्थान) पर .....श्रेणी में विद्युत कनेक्शन हेतु आपूर्तिकर्ता/लाइसेंसधारी (पूर्वांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड/केस्को/एनपीसीएल/अन्य) के समक्ष आवेदन किया है।

2. मेरे परिसर के विद्युत प्रतिष्ठापन से संबंधित कार्य राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त लाइसेंस प्राप्त विद्युत ठेकेदार द्वारा किया गया है।

3. उक्त विद्युत प्रतिष्ठापन केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2023 के उपबंधों का अनुपालन करता है और विद्युत सुरक्षा के मानकों को पूरा करता है।

4. उक्त विद्युत प्रतिष्ठापन से होने वाली किसी भी दुर्घटना के लिए मैं पूर्णतः स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी।

5. इस घोषणा में उल्लिखित प्रत्येक तथ्य मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है। यदि इस घोषणा में उल्लिखित कोइ भी तथ्य गलत या असत्य पाया जाता है, तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।

6. विद्युत कनेक्शन का विवरण निम्नलिखित है:-

	सिंगल फेज सप्लाई 220/230 वोल्ट		श्री फेज सप्लाई 440/400 वोल्ट								
			फेज-1		फेज-2		फेज-3		3-फेज आपूर्ति पर चलने वाले उपकरण		कुल जुडा हुआ या अपेक्षित भार (वाट)
	संख्या	कुल जुड़ा हुआ या अपेक्षित भार (वाट)	संख्या	कुल जुड़ा हुआ या अपेक्षित भार (वाट)	संख्या	कुल जुड़ा हुआ या अपेक्षित भार (वाट)	संख्या	कुल जुड़ा हुआ या अपेक्षित भार (वाट)	संख्या	कुल जुड़ा हुआ या अपेक्षित भार (वाट)	
1. बत्ती प्वाइंट्स											

2. पंखा प्वाइंट्स											
3. 5 एम्पीयर प्लग प्वाइंट्स											
4. टी०वी०											
5. हीटर											
6. वाटर हीटर/गीजर											
7. वाशिंग मशीन/ड्रायर											
8. रेफ्रिजेरेटर/डीप फ्रीजर / पेयजल वाटर कूलर											
9. किचन उपकरण											
10. डॅजर्ट कूलर /वाटर कूलर											
11. ए०सी० सिंगल फेज											
12. ए०सी० श्री फेज	×	×	×	×	×	×	×	×			
13. 15 एम्पीयर प्लग प्वाइंट्स											
14. मोटर सिंगल फेज											
15. मोटर थ्री फेज	×	×	×	×	×	×	×	×			
16. अन्य उपकरण सिंगल फेज											
17. अन्य उपकरण थ्री फेज	×	×	×	×	×	×	×	×			
योग											

7. मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि ऊपर उल्लिखित प्रतिष्ठापन मेरे/हमारे द्वारा स्थापित और परीक्षण किया गया है, और मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, यह समय-समय पर संशोधित केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2023 का अनुपालन करता है, तथा भारतीय मानक ब्यूरो और भारत के राष्ट्रीय विद्युत संहिता के संगत उपबंधों का भी अनुपालन करता है।

8. मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि आपूर्तिकर्ता के आपूर्ति बिंदु से आगे आवेदक/उपभोक्ता के प्रतिष्ठापन के लिए निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों का पालन किया गया है।

(एक) आवेदक उपभोक्ता विद्युत आपूर्ति के प्रारंभिक बिंदु के पास उपयुक्त रेटिंग वाला एनक्लोजर सहित एम.सी.बी. संस्थापित करेगा और डी.पी. स्विच संस्थापित नहीं करेगा।

(दो) आवेदक/उपभोक्ता, यदि वोल्टेज 250 वोल्ट से अधिक हो, तो प्रतिष्ठापन के लिए अपनी स्वयं की अर्थिंग प्रणाली उपलब्ध कराएगा।

(तीन) आवेदक/उपभोक्ता, यदि स्वीकृत लोड 2 किलोवाट से अधिक हो, तो अर्थ लीकेज सुरक्षा उपकरण संस्थापित करेगा।

उपभोक्ता के हस्ताक्षर: _____

नाम: _____

दिनांक: _____

स्थान: _____

आज्ञा से,

डॉ. आशीष कुमार गोयल
अपर मुख्य सचिव